संख्या : बी–2–298/दस–2012–244/2011

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक : 20 मार्च, 2012

विषय : वित्तीय वर्ष 2011–2012 में बजट / अनुपूरक बजट प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–2–1988/दस–2011–244/2011 दिनाँक 25 अगस्त, 2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके प्रस्तर–6 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–2012 की वित्तीय स्वीकृतियाँ दिनाँक 29 फरवरी, 2012 तक जारी की जानी थी । राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2012 की आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के कारण कतिपय विभागों की वित्तीय स्वीकृतियाँ उक्त तिथि तक जारी नहीं हो सकी हैं ।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–2012 की वित्तीय स्वीकृतियाँ (चालू योजना तथा नई योजना) प्रशासकीय विभागों द्वारा सक्षम स्तर (विभागीय मंत्री / माननीय मुख्य मंत्री जी) का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त दिनाँक 25 मार्च, 2012 तक जारी की जायेंगी ।

3– वित्तीय स्वीकृतियाँ इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में व्यय / वास्तविक उपयोग हेतु आवश्यक धनराशि की सीमा तक ही जारी की जायेंगी ।

4– वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को पी.एल.ए. / डिपाजिट खातों में जमा नहीं किया जायेगा ।

5– वित्तीय वर्ष 2011–2012 की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने सम्बन्धी उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 25 अगस्त, 2011 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011 दिनाँक 21 मार्च, 2011 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी ।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव ।

संख्या : बी–2–298(1)दस–2012–244 / 2011, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
6– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7– समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8– वित्त विभाग के समस्त व्यय–नियंत्रण अनुभाग एवं उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।
9– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
10– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव ।

n/cpc/go21312